**प्रेषक,**

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**सेवा में,**

प्रधानाचार्य / निदेशक,
मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में,
सत्र 2023–24 हेतु प्रोविजनली सम्बद्ध डिप्लोमा,
फार्मेसी संस्थाएं।

**पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2024 /** 7552 **लखनऊःदिनांक–** 01/10/2024

**विषयः– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सत्र 2023–24 हेतु प्रोविजनली सम्बद्धता प्रदान किये गये संस्थानों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र संख्या प्राशिप / परिषद / 2024 / 6362 दिनांक 17–09–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सत्र 2023–24 हेतु परिषद से प्रोविजनली सम्बद्ध डी0फार्मा0 संस्थानों से परिषद की वेबसाइट पर संस्थाओं का प्रोफाइल पूर्ण करने हेतु संस्थान का विवरण परिषद कार्यालय को दिनांक 18–09–2024 से 21–09–2024 तक निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे–

| क0 | जनपद | पी0सी0 आई0कोड | संस्था कोड | संस्था का नाम | प्रधानाचार्य का नाम | मोबाइल नं0 | ई0मेल0 आई0डी0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

परंतु अधिकांश संस्थाओं द्वारा अभी तक उक्त सूचना परिषद को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे संस्थानों का परिषद की वेबसाइट पर प्रोफाइल डाटा पूर्ण नहीं हो सका है। उक्त के दृष्टिगत पुनः अवसर प्रदान करते हुए समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 05–10–2024 तक प्रत्येक दशा में उपरोक्तानुसार सूचना परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में ऐसी संस्थानों को सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

**पृ0सं0– प्राशिप / परिषद / 2024 /** 7553-56 **तद्दिनांक–** 01/10/2024

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उ0प्र0, कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी, यू0राईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

E:\court case.docx